बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० –DoH/SS/20/2025 पी०पी०एम०-95- /कृ०, पटना दिनांक 17.07 ,2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **राज्य स्कीम मद से सब्जी विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 1318.75 लाख (तेरह करोड़ अठारह लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

राज्य स्कीम मद से सब्जी विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 1318.75 लाख (तेरह करोड़ अठारह लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य इच्छुक सब्जी उत्पादक किसानों को हाईब्रिड सब्जी के बिचड़ों एवं ओ.पी/हाइब्रिड सब्जी बीज/प्याज बीज उपलब्ध कराकर क्षेत्र विस्तार कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना है। योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के इच्छुक सब्जी उत्पादक किसानों को 75 प्रतिशत अनुदानित दर पर हाईब्रिड सब्जी के बिचड़ों एवं ओ.पी/हाइब्रिड सब्जी बीज उपलब्ध कराया जायेगा।

3. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन से संबंधित संक्षिप्त विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है। विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा के आलोक में अनुसूची–2 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

4. योजना संबंधित घटकवार संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

(क) हाईब्रिड सब्जी बिचड़े का वितरण :– इस घटक के अन्तर्गत चयनित किसानों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (सब्जी), चण्डी, नालन्दा, प्लग टाईप नर्सरी, भोजपुर एवं प्लग टाईप नर्सरी, कटिहार से चिन्हित सब्जियों यथा– ब्रोक्कली, कैप्सिकम, टमाटर, फूलगोभी एवं बंधागोभी (रबी) के हाईब्रिड सब्जी के गुणवत्तायुक्त बीज से पौध (Seedling) तैयार कर अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

इस हेतु उपरोक्त सभी बिचड़ों की इकाई दर लागत 3.00 रूपये प्रति पौध पर कृषकों को 2.25 (75 प्रतिशत) रूपये अनुदान दिया जायेगा। सभी संबंधित सहायक निदेशक उद्यान सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (सब्जी), चण्डी, नालन्दा, प्लग टाईप नर्सरी, भोजपुर एवं प्लग टाईप नर्सरी, कटिहार को लक्ष्य अनुरूप बिचड़ों की आपूर्त्ति हेतु कार्यादेश निर्गत करेंगे तथा ससमय बिचड़ा प्राप्त कर चयनित कृषकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न चिन्हित् सब्जियों का बिचड़ा प्रति किसान न्यूनतम 1000 तथा अधिकतम 10000 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

इस घटक अन्तर्गत रबी मौसम हेतु कृषकों से आवेदन 08 अगस्त, 2025 तक प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों की जाँच संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 5 कार्य दिवस के अन्दर कर सहायक निदेशक उद्यान के लॉगिन में अग्रसारित किया जायेगा। तदोपरांत संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा चयनित कृषकों को 20 अगस्त, 2025 तक कार्यादेश निर्गत

करना अनिवार्य होगा। जिलावार/फसलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुसूची–2(2/1) के रूप में संलग्न है।

(ख) सब्जी बीज वितरण (ओ.पी./हाईब्रिड प्रभेद) :– इस घटक अंतर्गत रबी मौसम में हरा मटर, गाजर एवं चुकन्दर के ओ.पी. प्रभेद तथा बैगन के हाइब्रिड बीज का वितरण किया जायेगा। इस घटक अंतर्गत गरमा मौसम में कद्दू, नेनुआ, करैला, भिण्डी, खरबूज एवं तरबूज के हाईब्रिड प्रभेद बीज का वितरण किया जायेगा। सब्जियों की खेती हेतु प्रति हेक्टेयर अनुशंसित बीज दर के अनुमानित बीज मूल्य (अनुसूची–1 के कॉलम–5)/वास्तविक बीज मूल्य दोनों मे से जो कम होगा, पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। सब्जियों के बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से कराया जायेगा।

सब्जी की खेती मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों के साथ–साथ वैसे कृषक, जिनके पास जमीन नहीं है, पट्टे और बटाई की जमीन पर सब्जी की खेती करते हैं, को ध्यान में रखते हुए योजना का लाभ एकरारनामा (अनुसूची–4) के आधार पर न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 2.5 एकड़ (1 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।

इस घटक अन्तर्गत रबी मौसम हेतु कृषकों से आवेदन 08 अगस्त, 2025 तक प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों की जाँच संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 5 कार्य दिवस के अन्दर कर सहायक निदेशक उद्यान के लॉगिन में अग्रसारित किया जायेगा। तदोपरांत संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा चयनित कृषकों को 20 अगस्त, 2025 तक कार्यादेश निर्गत करना अनिवार्य होगा।

इस घटक अन्तर्गत गरमा मौसम हेतु कृषकों से आवेदन 15 दिसम्बर, 2025 तक प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों की जाँच संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 5 कार्य दिवस के अन्दर कर सहायक निदेशक उद्यान के लॉगिन में अग्रसारित किया जायेगा। तदोपरांत संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा चयनित कृषकों को 24 दिसम्बर, 2025 तक कार्यादेश निर्गत करना अनिवार्य होगा। जिलावार/फसलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुसूची–2 (2/2 एवं 2/3) के रूप में संलग्न है।

(ग) प्याज बीज वितरण (रबी) :– इस घटक अन्तर्गत रबी मौसम में प्याज की खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को अनुदानित दर पर प्याज बीज का वितरण किया जायेगा। प्याज की खेती हेतु अनुशंसित बीज दर के अनुमानित बीज मूल्य 2450.00 रूपये प्रति किलोग्राम (अनुसूची–1 के कॉलम–5)/वास्तविक बीज मूल्य, दोनो में से जो कम होगा, पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

इस घटक अन्तर्गत रबी मौसम हेतु कृषकों से आवेदन 12 अगस्त, 2025 तक प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों की जाँच संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 5 कार्य दिवस के अन्दर कर सहायक निदेशक उद्यान के लॉगिन में अग्रसारित किया जायेगा। तदोपरांत संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा चयनित कृषकों को 22 अगस्त, 2025 तक कार्यादेश निर्गत करना अनिवार्य होगा। जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुसूची–2 (2/3) के रूप में संलग्न है।

5. योजना अन्तर्गत सब्जी बीज वितरण (ओ.पी./हाईब्रिड) एवं प्याज बीज वितरण (रबी) हेतु स्वीकृत इकाई लागत राशि अथवा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में ई–निविदा के माध्यम से निर्धारित होने वाले न्यूनतम दर (L1), दोनों में से जो कम होगा, पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

6. योजना का क्रियान्वयन यथासंभव क्लस्टर में किया जायेगा। एक राजस्व ग्राम को एक क्लस्टर माना जायेगा। सब्जी उत्पादन वाले दियारा के ऊपरी क्षेत्रों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

7. इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।

8. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का कृषि विभाग, बिहार के DBT पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक होगा। पंजीकृत कृषक के द्वारा https://horticulture.bihar.gov.in लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा। योजना अन्तर्गत सभी घटको हेतु कृषकों का चयन ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा।

9. उद्यान निदेशालय, बिहार द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

10. यह अनुदान की योजना है, इसमें मानव दिवस का सृजन नहीं होगा।

11. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची– 3 के अनुसार संबंधित सहायक निदेशक उद्यान –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में फार्म संख्या–BTC-25 पर की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का ऑनलाईन अनुदान भुगतान DBT in Kind/DBT in Cash के रूप में संबंधित कृषक/बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के बैंक खाता में CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

12. इस योजना हेतु 33–01 सब्सिडी विषय शीर्ष से स्वीकृति दी जा रही है परन्तु इस शीर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध नहीं है। उद्यान निदेशालय के लिए राज्य योजना मद में 31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन विषय शीर्ष में बजट उपबंध उपबंधित है परन्तु इस विषय शीर्ष में वित्त विभागीय परामर्श अनुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि स्वीकृत/आवंटित करना नियमानुकूल नहीं होने के कारण निदेशक, उद्यान द्वारा सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि को 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएं मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित करने हेतु बजट पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। 33–01 सब्सिडी मद में वित्त विभाग द्वारा राशि उपबंधित होने के पश्चात् ही इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

13. योजनान्तर्गत 78.537 : 20 : 1.463 के अनुपात में कोटिवार लाभुकों का चयन किया जायेगा। सभी कोटियों में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला कृषकों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

14. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।

15. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

16. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	**उपबंधित राशि**	**स्वीकृत राशि**
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या–01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101,विषय शीर्ष 0101–33–01 सब्सिडी।	19084.491	1035.70669
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष 0130–33–01 सब्सिडी।	4860.000	263.75000
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152–33–01 सब्सिडी।	355.509	19.29331
कुल	**24300.000**	**1318.75000**
उद्यान निदेशालय के पत्रांक–431 दिनांक–18.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाऍ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में विषयशीर्षवार राशि का उपबंध अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्ति होने के पश्चात ही राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।		

17\. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 एवं पत्र संख्या 201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक–04.07.2025 को आयोजित बैठक में प्राप्त है एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय उप मुख्य (कृषि) मंत्री, का अनुमोदन संचिका संख्या–DoH/SS/20/2025 के पृष्ठ संख्या–12/टि० पर दिनांक–10.07.2025 को प्राप्त है।

18\. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

19\. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या DoH/SS/20/2025 के पृ0सं0–14/टि० पर दिनांक–16.07.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–563 दिनांक–16.07.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/20/2025-पी० पी० एम०-१५- /कृ०, पटना, दिनांक 17.07. ,2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/20/2025 पी० पी० एम०-१५- /कृ०, पटना, दिनांक 17.07. ,2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/20/2025 पी० पी० एम०-१५- /कृ०, पटना, दिनांक 17.07. ,2025

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/20/2025 पी० पी० एम०-१५- /कृ०, पटना, दिनांक 17.07. ,2025

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/20/2025 पी०पी०एम०-९५- /कृ०, पटना, दिनांक 17.07. ,2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि विपणन, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना /निदेशक, बामेति, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी /सभी सहायक निदेशक उद्यान/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/20/2025 पी०पी०एम०-९५- /कृ०, पटना, दिनांक 17.07. ,2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1
सब्जी विकास योजना (2025–26)

क्र० सं०	अवयव	इकाई	बीज की मात्रा (प्रति हे०)	अनुमानित प्रति किलोग्राम बीज का मूल्य (रू० में)	इकाई लागत प्रति हे० (रूपये में)	सहायतानुदान प्रतिशत (इकाई लागत का)	सहायतानुदान प्रति पौधा / हेक्टेयर (रूपये में)	भौतिक लक्ष्य (संख्या / हे०)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू०)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**हाईब्रिड सब्जी बिचड़े का वितरण**								
i	ब्रोक्कली (रबी)	संख्या	-	-	3.00 / पौधा	75%	2.25 / पौधा	400000	9.00000
ii	कैप्सिकम (रबी)	संख्या	-	-				440909	9.92045
iii	टमाटर (रबी)	संख्या	-	-				400000	9.00000
iv	फूलगोभी (रबी)	संख्या	-	-				400000	9.00000
v	बंधागोभी (रबी)	संख्या	-	-				400000	9.00000
	योग							**2040909**	**45.92045**
2	**सब्जी बीज वितरण (ओ.पी. / हाइब्रिड प्रभेद)**								
i	हरा मटर (रबी)	हे०	100.000 kg (OP)	100.00	10000.00	75%	7500.00	1000	75.00000
ii	गाजर (रबी)	हे०	5.000 kg (OP)	2000.00	10000.00	75%	7500.00	800	60.00000
iii	चुकन्दर (रबी)	हे०	6.000 kg (OP)	2000.00	12000.00	75%	9000.00	300	27.00000
iv	बैगन (रबी)	हे०	0.200 kg (hybrid)	12000.00	2400.00	75%	1800.00	1000	18.00000
v	कद्दू (गरमा)	हे०	1.500 kg (hybrid)	5500.00	8250.00	75%	6187.50	1400	86.62500
vi	नेनुआ (गरमा)	हे०	1.500 kg (hybrid)	5500.00	8250.00	75%	6187.50	1400	86.62500
vii	करैला (गरमा)	हे०	1.750 kg (hybrid)	10000.00	17500.00	75%	13125.00	1400	183.75000
viii	भिण्डी (गरमा)	हे०	6.250 kg (hybrid)	4000.00	25000.00	75%	18750.00	1400	262.50000
ix	खरबूज (गरमा)	हे०	0.500 kg (hybrid)	25000.00	12500.00	75%	9375.00	1500	140.62500
x	तरबूज (गरमा)	हे०	0.625 kg (hybrid)	20000.00	12500.00	75%	9375.00	500	46.87500
	योग							**10700**	**987.00000**
3	**प्याज बीज वितरण (रबी)**	हे०	10 kg (OP)	2450.00	24500.00	75%	18375.00	**1500**	**275.62500**
	कुल योग							**2053109**	**1308.54545**
4	**आकस्मिकता (परिवहन हेतु) @₹0.50/बिचड़ा**								**10.20455**
	सकल योग								**1318.75000**

(तेरह करोड़ अठारह लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची – 2 (2/1)

सब्जी विकास योजना (2025–26) का जिलावार एवं अवयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक संख्या एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	हाईब्रिड सब्जी के बिचड़े का वितरण – रबी – ब्रोक्कली भौतिक लक्ष्य	ब्रोक्कली वित्तीय लक्ष्य	कैप्सिकम भौतिक लक्ष्य	कैप्सिकम वित्तीय लक्ष्य	टमाटर भौतिक लक्ष्य	टमाटर वित्तीय लक्ष्य	फूलगोभी भौतिक लक्ष्य	फूलगोभी वित्तीय लक्ष्य	बंधागोभी भौतिक लक्ष्य	बंधागोभी वित्तीय लक्ष्य	कुल – न्यूनतम लाभार्थी की संख्या	कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अररिया	4000	0.09000	6000	0.13500	4000	0.09000	4000	0.09000	4000	0.09000	5	22000	0.49500
2	अरवल	4000	0.09000	6000	0.13500	4000	0.09000	4000	0.09000	4000	0.09000	5	22000	0.49500
3	औरंगाबाद	4000	0.09000	6000	0.13500	12000	0.27000	4000	0.09000	4000	0.09000	6	30000	0.67500
4	बांका	12000	0.27000	12000	0.27000	4000	0.09000	12000	0.27000	12000	0.27000	11	52000	1.17000
5	बेगूसराय	8000	0.18000	10000	0.22500	8000	0.18000	8000	0.18000	8000	0.18000	9	42000	0.94500
6	भागलपुर	40000	0.90000	40000	0.90000	5000	0.11250	40000	0.90000	40000	0.90000	33	165000	3.71250
7	भोजपुर	20000	0.45000	20000	0.45000	4000	0.09000	20000	0.45000	20000	0.45000	17	84000	1.89000
8	बक्सर	40000	0.90000	32000	0.72000	4000	0.09000	40000	0.90000	40000	0.90000	32	156000	3.51000
9	दरभंगा	10000	0.22500	10000	0.22500	4000	0.09000	10000	0.22500	10000	0.22500	9	44000	0.99000
10	पूर्वी चम्पारण	40000	0.90000	40000	0.90000	6000	0.13500	40000	0.90000	40000	0.90000	34	166000	3.73500
11	गया	20000	0.45000	20000	0.45000	12000	0.27000	20000	0.45000	20000	0.45000	19	92000	2.07000
12	गोपालगंज	4000	0.09000	7000	0.15750	6000	0.13500	4000	0.09000	4000	0.09000	5	25000	0.56250
13	जमुई	4000	0.09000	6000	0.13500	3000	0.06750	4000	0.09000	4000	0.09000	5	21000	0.47250
14	जहानाबाद	12000	0.27000	12000	0.27000	8000	0.18000	12000	0.27000	12000	0.27000	12	56000	1.26000
15	कैमूर	12000	0.27000	12000	0.27000	8000	0.18000	12000	0.27000	12000	0.27000	12	56000	1.26000
16	कटिहार	20000	0.45000	19909	0.44795	8000	0.18000	20000	0.45000	20000	0.45000	18	87909	1.97795
17	खगड़िया	20000	0.45000	20000	0.45000	4000	0.09000	20000	0.45000	20000	0.45000	17	84000	1.89000
18	किशनगंज	6000	0.13500	8000	0.18000	4000	0.09000	6000	0.13500	6000	0.13500	6	30000	0.67500
19	लखीसराय	4000	0.09000	6000	0.13500	4000	0.09000	4000	0.09000	4000	0.09000	5	22000	0.49500
20	मधेपुरा	8000	0.18000	8000	0.18000	8000	0.18000	8000	0.18000	8000	0.18000	8	40000	0.90000
21	मधुबनी	4000	0.09000	6000	0.13500	4000	0.09000	4000	0.09000	4000	0.09000	5	22000	0.49500
22	मुंगेर	4000	0.09000	6000	0.13500	4000	0.09000	4000	0.09000	4000	0.09000	5	22000	0.49500
23	मुजफ्फरपुर	4000	0.09000	8000	0.18000	4000	0.09000	4000	0.09000	4000	0.09000	5	24000	0.54000
24	नालन्दा	12000	0.27000	12000	0.27000	12000	0.27000	12000	0.27000	12000	0.27000	12	60000	1.35000
25	नवादा	8000	0.18000	8000	0.18000	8000	0.18000	8000	0.18000	8000	0.18000	8	40000	0.90000
26	पटना	20000	0.45000	20000	0.45000	40000	0.90000	20000	0.45000	20000	0.45000	24	120000	2.70000
27	पूर्णिया	10000	0.22500	10000	0.22500	20000	0.45000	10000	0.22500	10000	0.22500	12	60000	1.35000
28	रोहतास	8000	0.18000	8000	0.18000	40000	0.90000	8000	0.18000	8000	0.18000	15	72000	1.62000
29	सहरसा	6000	0.13500	6000	0.13500	10000	0.22500	6000	0.13500	6000	0.13500	7	34000	0.76500
30	समस्तीपुर	4000	0.09000	6000	0.13500	40000	0.90000	4000	0.09000	4000	0.09000	12	58000	1.30500
31	सारण	4000	0.09000	6000	0.13500	20000	0.45000	4000	0.09000	4000	0.09000	8	38000	0.85500
32	शेखपुरा	2000	0.04500	5000	0.11250	4000	0.09000	2000	0.04500	2000	0.04500	3	15000	0.33750
33	शिवहर	2000	0.04500	4000	0.09000	4000	0.09000	2000	0.04500	2000	0.04500	3	14000	0.31500
34	सीतामढ़ी	2000	0.04500	5000	0.11250	12000	0.27000	2000	0.04500	2000	0.04500	5	23000	0.51750
35	सिवान	2000	0.04500	8000	0.18000	12000	0.27000	2000	0.04500	2000	0.04500	6	26000	0.58500
36	सुपौल	4000	0.09000	6000	0.13500	20000	0.45000	4000	0.09000	4000	0.09000	8	38000	0.85500
37	वैशाली	8000	0.18000	8000	0.18000	20000	0.45000	8000	0.18000	8000	0.18000	11	52000	1.17000
38	पश्चिमी चम्पारण	4000	0.09000	8000	0.18000	6000	0.13500	4000	0.09000	4000	0.09000	6	26000	0.58500
	कुल	**400000**	**9.00000**	**440909**	**9.92045**	**400000**	**9.00000**	**400000**	**9.00000**	**400000**	**9.00000**	**423**	**2040909**	**45.92045**

पवन कुमार

निदेशक उद्यान
बिहार, पटना

अनुसूची – 2 (2/2)

सब्जी विकास योजना (2025–26) का जिलावार एवं अवयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक लक्ष्य हे० में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रूपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	सब्जी बीज वितरण (ओ.पी./हाईब्रिड प्रभेद)													
		रबी								गरमा					
		हरा मटर (सब्जी)		गाजर		चुकन्दर		बैगन		कद्दू		नेनुआ		करैला	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	अररिया	20	1.50000	10	0.75000	5	0.45000	20	0.36000	30	1.85625	30	1.85625	30	3.93750
2	अरवल	20	1.50000	10	0.75000	5	0.45000	20	0.36000	30	1.85625	30	1.85625	30	3.93750
3	औरंगाबाद	30	2.25000	20	1.50000	10	0.90000	30	0.54000	40	2.47500	40	2.47500	40	5.25000
4	बांका	10	0.75000	10	0.75000	5	0.45000	20	0.36000	30	1.85625	30	1.85625	30	3.93750
5	बेगूसराय	50	3.75000	30	2.25000	10	0.90000	50	0.90000	50	3.09375	50	3.09375	50	6.56250
6	भागलपुर	40	3.00000	30	2.25000	10	0.90000	40	0.72000	50	3.09375	50	3.09375	50	6.56250
7	भोजपुर	60	4.50000	20	1.50000	5	0.45000	30	0.54000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
8	बक्सर	20	1.50000	20	1.50000	5	0.45000	20	0.36000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
9	दरभंगा	10	0.75000	20	1.50000	5	0.45000	20	0.36000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
10	पूर्वी चम्पारण	40	3.00000	30	2.25000	10	0.90000	40	0.72000	50	3.09375	50	3.09375	50	6.56250
11	गया	30	2.25000	20	1.50000	10	0.90000	30	0.54000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
12	गोपालगंज	30	2.25000	20	1.50000	10	0.90000	30	0.54000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
13	जमुई	10	0.75000	10	0.75000	5	0.45000	10	0.18000	30	1.85625	30	1.85625	30	3.93750
14	जहानाबाद	20	1.50000	10	0.75000	5	0.45000	20	0.36000	30	1.85625	30	1.85625	30	3.93750
15	कैमूर	20	1.50000	20	1.50000	5	0.45000	20	0.36000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
16	कटिहार	10	0.75000	20	1.50000	5	0.45000	20	0.36000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
17	खगड़िया	20	1.50000	10	0.75000	5	0.45000	20	0.36000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
18	किशनगंज	10	0.75000	10	0.75000	5	0.45000	10	0.18000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
19	लखीसराय	30	2.25000	30	2.25000	10	0.90000	30	0.54000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
20	मधेपुरा	20	1.50000	20	1.50000	5	0.45000	20	0.36000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
21	मधुबनी	10	0.75000	20	1.50000	5	0.45000	20	0.36000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
22	मुंगेर	20	1.50000	20	1.50000	5	0.45000	20	0.36000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
23	मुजफ्फरपुर	20	1.50000	30	2.25000	20	1.80000	20	0.36000	50	3.09375	50	3.09375	50	6.56250
24	नालन्दा	30	2.25000	40	3.00000	10	0.90000	40	0.72000	50	3.09375	50	3.09375	50	6.56250
25	नवादा	20	1.50000	20	1.50000	5	0.45000	20	0.36000	30	1.85625	30	1.85625	30	3.93750
26	पटना	30	2.25000	50	3.75000	20	1.80000	40	0.72000	45	2.78438	45	2.78438	45	5.90625
27	पूर्णिया	10	0.75000	20	1.50000	10	0.90000	20	0.36000	40	2.47500	40	2.47500	40	5.25000
28	रोहतास	30	2.25000	20	1.50000	5	0.45000	30	0.54000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
29	सहरसा	20	1.50000	20	1.50000	5	0.45000	20	0.36000	30	1.85625	30	1.85625	30	3.93750
30	समस्तीपुर	50	3.75000	30	2.25000	10	0.90000	50	0.90000	50	3.09375	50	3.09375	50	6.56250
31	सारण	50	3.75000	20	1.50000	10	0.90000	30	0.54000	40	2.47500	40	2.47500	40	5.25000
32	शेखपुरा	10	0.75000	10	0.75000	5	0.45000	20	0.36000	30	1.85625	30	1.85625	30	3.93750
33	शिवहर	10	0.75000	10	0.75000	5	0.45000	10	0.18000	30	1.85625	30	1.85625	30	3.93750
34	सीतामढ़ी	30	2.25000	20	1.50000	10	0.90000	30	0.54000	30	1.85625	30	1.85625	30	3.93750
35	सिवान	30	2.25000	20	1.50000	10	0.90000	30	0.54000	40	2.47500	40	2.47500	40	5.25000
36	सुपौल	30	2.25000	20	1.50000	5	0.45000	30	0.54000	30	1.85625	30	1.85625	30	3.93750
37	वैशाली	50	3.75000	30	2.25000	15	1.35000	30	0.54000	40	2.47500	40	2.47500	40	5.25000
38	पश्चिमी चम्पारण	50	3.75000	30	2.25000	10	0.90000	40	0.72000	35	2.16563	35	2.16563	35	4.59375
	कुल	**1000**	**75.00000**	**800**	**60.00000**	**300**	**27.00000**	**1000**	**18.00000**	**1400**	**86.62500**	**1400**	**86.62500**	**1400**	**183.75000**

पवन कुमार

निदेशक उद्यान
बिहार, पटना

अनुसूची – 2 (2/3)

सब्जी विकास योजना (2025–26) का जिलावार एवं अवयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक लक्ष्य हे० में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रूपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	सब्जी बीज वितरण (ओ.पी./हाईब्रिड प्रभेद) — गरमा — भिण्डी		खरबूज		तरबूज		कुल लक्ष्य			प्याज बीज वितरण (रबी)			COE द्वारा आपूरित बिचड़ा के परिवहन व्यय के भुगतान हेतु राशि		कुल		
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	न्यूनतम लाभार्थी की संख्या	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	न्यूनतम लाभार्थी की संख्या	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	आकस्मिकता	न्यूनतम लाभार्थी की संख्या	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1	अररिया	30	5.62500	20	1.87500	0	0.00000	195	195	18.21000	20	20	3.67500	22000	0.11000	220	22215	22.49000
2	अरवल	30	5.62500	10	0.93750	0	0.00000	185	185	17.27250	20	20	3.67500	22000	0.11000	210	22205	21.55250
3	औरंगाबाद	40	7.50000	80	7.50000	10	0.93750	340	340	31.32750	60	60	11.02500	30000	0.15000	406	30400	43.17750
4	बांका	30	5.62500	20	1.87500	10	0.93750	195	195	18.39750	20	20	3.67500	52000	0.26000	226	52215	23.50250
5	बेगूसराय	50	9.37500	50	4.68750	20	1.87500	410	410	36.48750	80	80	14.70000	42000	0.21000	499	42490	52.34250
6	भागलपुर	50	9.37500	40	3.75000	20	1.87500	380	380	34.62000	80	80	14.70000	165000	0.82500	493	165460	53.85750
7	भोजपुर	35	6.56250	30	2.81250	0	0.00000	285	285	25.29000	60	60	11.02500	84000	0.42000	362	84345	38.62500
8	बक्सर	35	6.56250	50	4.68750	20	1.87500	275	275	25.86000	80	80	14.70000	156000	0.78000	387	156355	44.85000
9	दरभंगा	35	6.56250	20	1.87500	10	0.93750	225	225	21.36000	30	30	5.51250	44000	0.22000	264	44255	28.08250
10	पूर्वी चम्पारण	50	9.37500	50	4.68750	20	1.87500	390	390	35.55750	30	30	5.51250	166000	0.83000	454	166420	45.63500
11	गया	35	6.56250	20	1.87500	0	0.00000	250	250	22.55250	70	70	12.86250	92000	0.46000	339	92320	37.94500
12	गोपालगंज	35	6.56250	60	5.62500	30	2.81250	320	320	29.11500	40	40	7.35000	25000	0.12500	365	25360	37.15250
13	जमुई	30	5.62500	10	0.93750	0	0.00000	165	165	16.34250	10	10	1.83750	21000	0.10500	180	21175	18.75750
14	जहानाबाद	30	5.62500	10	0.93750	0	0.00000	185	185	17.27250	20	20	3.67500	56000	0.28000	217	56205	22.48750
15	कैमूर	35	6.56250	30	2.81250	0	0.00000	235	235	22.11000	20	20	3.67500	56000	0.28000	267	56255	27.32500
16	कटिहार	35	6.56250	20	1.87500	0	0.00000	215	215	20.42250	10	10	1.83750	87909	0.43955	243	88134	24.67750
17	खगड़िया	35	6.56250	20	1.87500	10	0.93750	225	225	21.36000	10	10	1.83750	84000	0.42000	252	84235	25.50750
18	किशनगंज	35	6.56250	10	0.93750	0	0.00000	185	185	18.55500	10	10	1.83750	30000	0.15000	201	30195	21.21750
19	लखीसराय	35	6.56250	40	3.75000	20	1.87500	300	300	27.05250	30	30	5.51250	22000	0.11000	335	22330	33.17000
20	मधेपुरा	35	6.56250	50	4.68750	20	1.87500	275	275	25.86000	30	30	5.51250	40000	0.20000	313	40305	32.47250
21	मधुबनी	35	6.56250	20	1.87500	10	0.93750	225	225	21.36000	20	20	3.67500	22000	0.11000	250	22245	25.64000
22	मुंगेर	35	6.56250	20	1.87500	10	0.93750	235	235	22.11000	30	30	5.51250	22000	0.11000	270	22265	28.22750
23	मुजफ्फरपुर	50	9.37500	50	4.68750	20	1.87500	360	360	34.59750	60	60	11.02500	24000	0.12000	425	24420	46.28250
24	नालन्दा	50	9.37500	20	1.87500	10	0.93750	350	350	31.80750	80	80	14.70000	60000	0.30000	442	60430	48.15750
25	नवादा	30	5.62500	20	1.87500	0	0.00000	205	205	18.96000	20	20	3.67500	40000	0.20000	233	40225	23.73500
26	पटना	45	8.43750	60	5.62500	40	3.75000	420	420	37.80750	80	80	14.70000	120000	0.60000	524	120500	55.80750
27	पूर्णिया	40	7.50000	100	9.37500	20	1.87500	340	340	32.46000	20	20	3.67500	60000	0.30000	372	60360	37.78500
28	रोहतास	35	6.56250	100	9.37500	40	3.75000	365	365	33.35250	60	60	11.02500	72000	0.36000	440	72425	46.35750
29	सहरसा	30	5.62500	20	1.87500	20	1.87500	225	225	20.83500	20	20	3.67500	34000	0.17000	252	34245	25.44500
30	समस्तीपुर	50	9.37500	50	4.68750	20	1.87500	410	410	36.48750	80	80	14.70000	58000	0.29000	502	58490	52.78250
31	सारण	40	7.50000	100	9.37500	30	2.81250	400	400	36.57750	60	60	11.02500	38000	0.19000	468	38460	48.64750
32	शेखपुरा	30	5.62500	10	0.93750	0	0.00000	175	175	16.52250	80	80	14.70000	15000	0.07500	258	15255	31.63500
33	शिवहर	30	5.62500	10	0.93750	0	0.00000	165	165	16.34250	10	10	1.83750	14000	0.07000	178	14175	18.56500
34	सीतामढ़ी	30	5.62500	40	3.75000	10	0.93750	260	260	23.15250	30	30	5.51250	23000	0.11500	295	23290	29.29750
35	सिवान	40	7.50000	60	5.62500	20	1.87500	330	330	30.39000	30	30	5.51250	26000	0.13000	366	26360	36.61750
36	सुपौल	30	5.62500	50	4.68750	20	1.87500	275	275	24.57750	20	20	3.67500	38000	0.19000	303	38295	29.29750
37	वैशाली	40	7.50000	100	9.37500	20	1.87500	405	405	36.84000	50	50	9.18750	52000	0.26000	466	52455	47.45750
38	पश्चिमी चम्पारण	35	6.56250	30	2.81250	20	1.87500	320	320	27.79500	20	20	3.67500	26000	0.13000	346	26340	32.18500
	कुल	1400	262.50000	1500	140.62500	500	46.87500	10700	10700	987.00000	1500	1500	275.62500	2040909	10.20455	12623	2053109	1318.75000

(तेरह करोड़ अठारह लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

(87)

अनुसूची –3

वित्तीय वर्ष 2025–26 का राज्य योजना के तहत् निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार तथा श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य की विवरणी (लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य जाति (@78.537)	अनुसूचित जाति (@20.00)	अनुसूचित जनजाति (@1.463)	कुल वित्तीय
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	17.66297	4.49800	0.32903	22.49000
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	16.92668	4.31050	0.31532	21.55250
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	33.91031	8.63550	0.63169	43.17750
4	सहायक निदेशक उद्यान, बांका	18.45816	4.70050	0.34384	23.50250
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगूसराय	41.10823	10.46850	0.76577	52.34250
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	42.29806	10.77150	0.78794	53.85750
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	30.33492	7.72500	0.56508	38.62500
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	35.22384	8.97000	0.65616	44.85000
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	22.05515	5.61650	0.41085	28.08250
10	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	35.84036	9.12700	0.66764	45.63500
11	सहायक निदेशक उद्यान, गया	29.80086	7.58900	0.55514	37.94500
12	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	29.17846	7.43050	0.54354	37.15250
13	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	14.73158	3.75150	0.27442	18.75750
14	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	17.66101	4.49750	0.32899	22.48750
15	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर	21.46024	5.46500	0.39976	27.32500
16	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	19.38097	4.93550	0.36103	24.67750
17	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	20.03283	5.10150	0.37317	25.50750
18	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	16.66359	4.24350	0.31041	21.21750
19	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	26.05072	6.63400	0.48528	33.17000
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	25.50293	6.49450	0.47507	32.47250
21	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	20.13689	5.12800	0.37511	25.64000
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	22.16903	5.64550	0.41297	28.22750
23	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	36.34889	9.25650	0.67711	46.28250
24	सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा	37.82146	9.63150	0.70454	48.15750
25	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	18.64076	4.74700	0.34724	23.73500
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	43.82954	11.16150	0.81646	55.80750
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	29.67521	7.55700	0.55279	37.78500
28	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	36.40778	9.27150	0.67822	46.35750
29	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	19.98374	5.08900	0.37226	25.44500
30	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	41.45379	10.55650	0.77221	52.78250
31	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	38.20629	9.72950	0.71171	48.64750
32	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	24.84518	6.32700	0.46282	31.63500
33	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	14.58039	3.71300	0.27161	18.56500
34	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	23.00938	5.85950	0.42862	29.29750
35	सहायक निदेशक उद्यान, सिवान	28.75829	7.32350	0.53571	36.61750
36	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	23.00937	5.85950	0.42863	29.29750
37	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	37.27170	9.49150	0.69430	47.45750
38	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिमी चम्पारण	25.27713	6.43700	0.47087	32.18500
	कुल	**1035.70669**	**263.75000**	**19.29331**	**1318.75000**

(तेरह करोड़ अठारह लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

(86)

कृषि विभाग
उद्यान निदेशालय
सब्जी विकास योजना (2025–26) का लाभ लेने हेतु एकरारनामा (गैर–रैयत कृषक)
(विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मै..पिता/पति..

ग्राम...पोस्ट...पंचायत...

प्रखंड..................................जिला..................................का निवासी हूँ। मैंने हरा मटर (सब्जी)/ गाजर/चुकन्दर/बैगन/कद्दू/नेनुआ/करैला/भिण्डी/खरबूज/तरबूज/प्याज की खेती हेतु कृषक श्री..पिता/पति..ग्राम....................

पोस्ट..................................पंचायत..................................प्रखंड..

जिला..............................से खाता संख्या.......................खेसरा संख्या.....................रकवा.................

जमीन बटाई/पट्टा पर प्राप्त किया है।

2. बटाई/पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर सब्जी की खेती की जायेगी/की जा रही है।

3. उपर्युक्त सूचना सही है किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जबावदेही मेरी होगी, तथा मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा सकता है।

कृषक का हस्ताक्षर

खेत के बगल के दो किसानों का नाम एवं हस्ताक्षर

(मोबाईल नं० सहित)

1 गवाह का नाम एवं पता — हस्ताक्षर

....

....

2 गवाह का नाम एवं पता — हस्ताक्षर

....

....

सत्यापनकर्ता (कृषि समन्वयक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी)